

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112021-231466 CG-DL-E-29112021-231466

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]

No. 6781

नई दिल्ली शुक्रवार, नवस्वर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 837(अ).—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 56 के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती की पद्धति को विनयमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत:

- लघु शीर्षक और प्रारंभ: (1) इन नियमों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (अधिकारियों और स्टॉफ की नियुक्ति) भर्ती नियम, 2021 कहा जाए।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
- उक्त पदों की संख्या,वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में लेवल- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वहीं होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. अपात्रता- ऐसा कोई व्यक्ति,
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं; या

(S) (S)

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, अथवा विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केम्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्र	पद का नाम पदसंख्या वर्गीकरण		वेतन मैद्रिक्स में	चयन या	सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए	
म				लेवल	अचयन पद	जाने वाले	जाने वाले
सं		,				व्यक्तियों के	व्यक्तियों के लिए
ख्या			4		Í	लिए आयु-सीमा	अपेक्षित शैक्षिक
							और अन्य अर्हताएं
	(1)	. (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सदस्य (परीक्षा	03* (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	लेवल 14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	प्रकोष्ठ)		समूह 'क', गैर-मंत्रालयी	(1,44,200 枣			
		*कार्यभार के आधार पर		2,18,200枣.)			
		परिवर्तन किया जा		•			
		सकता है।					

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10) प्रतिनियुक्ति द्वारा	आधार पर सदृश पदधारी हैं या (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिनस लेवल 13 (1,23,100- 2,15,900रू) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा; और	(12) चयन समिति में निम्नलिखित होगें:- i. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; अध्यक्ष ii. महा निदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, (पदेन)- सदस्य ii. निदेशक, एम्स, दिल्ली (पदेन)- सदस्य v. निदेशक, पीजीआई, चंडीगढ़, (पदेन)-सदस्य v. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; सदस्य, सचिव	(13) लागू नहीं।
			नोट: 1. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग- पूर्व पद प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यंतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

नोट 2: प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आनेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को <u>56 वर्ष</u> से अधिफ नहीं होनी चाहिए।

कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। समूह 'क',राजपित्रत, गैर-मंत्रालयी समूह 'क',राजपित्रत, गैर-मंत्रालयी (1,44,200 रू 2,18,200रू.) हेशी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वद्यालय से एमवीबीएस (ii). व्यवसाय में कुल 12 नर्ष का अनुभव जिसमें 5 वर्ष का अनुभव साकोत्तर हिशी प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त मेडीकल कॉलेज में शिक्षण का	2.	वरिष्ठ सलाहकार	08 (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	लेबल	14	चयन पंद	लागू नहीं	(i). स्नाकोत्तर मेडीकल
) हाना चाहिए।	4	41.00 (((1644)	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	समूह 'क',राजपत्रित,	(1,44,200				डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से एमबीबीएस (ii): व्यवसाय में कुल 12 नर्ष का अनुभन जिसमें 5 वर्ष का अनुभव स्नाकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त मेडीकल

		1-00-0	1_66-6		
लाग् नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	(॥) मूल सवग/विभाग में वतन माट्रक्स लेवल 13 (1,23,100- 2,15,900रू) में	चयन समिति में निम्नलिखित होगें:- i. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; अध्यक्ष ii. सचित्र, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य v. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले उपयुक्त स्तर के एक याहरी विशेषज्ञ-सदस्य	लागू नहीं।

3	सलाहकार (रेटिंग)	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', गैर-मंत्रालयी	लेवल 12 (78,800 रू2,09,200रू.)	चयन पद	45 वर्ष तक	(i). मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय या संस्थान से स्नाकोत्तर डिग्री; (ii). गुणवत्ता नियंत्रण और अवसरंचना एवं अन्य सुविधाओं के मूल्य- निर्धारण का 10 वर्ष का अनुभव। वरीयतः चिकित्सा संस्थान या कॉलेज या अस्पताल में हो। नोट 1: अभ्यर्थी के अन्यथा सुयोग्य होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता में छट दी जा
	-		*				अहता स छुट दा जा सकती है।

नोट 2: उपर्युक्त शैक्षणिक अर्हता और अनुभव मूल पात्रता मानदंड है। कार्य आधार पर अतिरिक्त अपेक्षा, यदि फोई हो तो, का प्रत्येक अवसर पर विज्ञापन में उल्लेख किया जाएगा।

4	उप- सचिव	01* (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	लेवल 12 (78,800	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं
	(लेखा एवं वित्त)		 समूह 'क', राजपत्रित,	₹2,09,200₹.)			
		*कार्यभार के					
		आधार पर	,				
1		परिवर्तन किया	·				
L		जा सकता है।					

लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा:	चयन समिति में निम्नलिखित	लागू नहीं।
		केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ	होगें:-	
		राज्य क्षेत्र या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा		
			i. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा	
			आयोग; अध्यक्ष	
		•	ii. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा	
		(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित	आयोग- सदस्य	<u>f</u>
		आधार पर सदृश पद धारी हैं या	iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
		(ii) प्रधान लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष	द्वारा नामित एक प्रतिनिधि-	
		व्यक्तियों में से कोई जिसने वेतन मैट्रिक्स	सदस्य	
		मामलों को देखन का अनुभव हो; और	एक बाहरा।वशष्म- सदस्य	
	लागू नहीं	लागू नहीं प्रितिनियुक्ति द्वारा	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा या सांविधिक संगठन या सार्वजिनिक क्षेत्र उद्यम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी हैं या (ii) प्रधान लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष व्यक्तियों में से कोई जिसने वेतन मैट्रिक्स	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या साथ कित्सा सेवा या सांविधिक संगठन या सार्वजिनिक क्षेत्र उद्यम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी हैं या (ii) प्रधान लेखा अधिकारी अथवा समकक्ष व्यक्तियों में से कोई जिसने वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 (67,700- 2,08,700रू) में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा जिसके पास वित्त, लेखा, वज्य संबंधी

(and	/ 	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		,				
				किसी अन्य नियुक्ति से पद पर का अवधि सहि सामान्यतया चाहिए। नोट 2: प्रति। हेतु अधिक प्राप्ति की अं	केन्द्र सरकार के उपर्युक्त संगठन या विभाग में तुरंत पहले अन्य संवर्ग- र्य करने की प्रतिनियुक्ति हेत प्रतिनियुक्ति की अ तीन वर्षों से अधिक नहीं : नियुक्ति/ आमेलन द्वारा नि तम आयु-सीमा आवेदन होनी चाहिए।	इस बाह्य : की विधि होनी युक्ति		
(_						<u></u>		
	5 उप- सचिव (विधि)	*कार्य आधा . परिव	समूह भार के मंत्रा र पर	ान्य केंद्रीय सेवा, इ 'क', राजपत्रित, लयी	लेवल 12 (78,800 रू2,09,200रू.)	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं
	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केन्द्र सरकार राज्य क्षेत्र य या सांविधिव उद्यम या विः अनुसंधान संव (i) भूल संवय आधार पर स (ii) प्रधान ले व्यक्तियों में लेवल 11 (तीन वर्षों के जिसके पास मामलों को दे नोट : 1. वे किसी अन्य नियुक्ति से तु पद पर कार्य अवधि सहिं सामान्यतया चाहिए।	र या राज्य सरकार या संशस्त्र बल चिकित्सा कि संगठन या सार्वजनिक श्वविद्यालय या मान्यता प्रस्थान के अधिकारी। र्ष अथवा विभाग में नियं हुंश पद धारी हैं या खा अधिकारी अथवा समसे कोई जिसने वेतन मैट्रि (67,700- 2,08,700रू) वे नियमित सेवा की हो विस्तृत लेखा, बजट संगठन या विभाग में एरंत पहले अन्य संवर्ग- वर्ष अपतिनियुक्ति त प्रतिनियुक्ति की अल्तिन वर्षों से अधिक नहीं हें त्युक्ति/ आमेलन द्वारा नियुम्म आयु-सीमा आवेदन तियुक्ति/ आमेलन द्वारा नियुम्म आयु-सीमा आवेदन तियुक्ति को 56 वर्ष	संघ होगें:- सेवा क्षेत्र गाप्त मिंत गां. सिंच आयं जां. स्वार सदर तथा वंधी या इस गाह्म की वंधि वेशि	ामिति में निम्नलिखि अध्यक्ष, राष्ट्री चिकित्सा आयोग अध्यक्ष व, राष्ट्रीय चिकित्स गेग- सदस्य त्थ्य और परिवार कल्याप नामित एक प्रतिनिधि य क्ष, राष्ट्रीय चिकित्स ग द्वारा नामित किय वाला उपयुक्त स्तर क बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य	ц ; т т
€) अवर-सचिव (विधि)	01* (2 *कार्यभ आधार परिवर्त जा सक	समूह पर न किया	न्य केंद्रीय सेवा, 'क', मंत्रालयी	लेवल 11 (67,700 रू2,08,700रू.)	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं
~	ग्रम् नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	राज्य क्षेत्र या या सांविधिक उद्यम या विश	ारा: या राज्य सरकार या । । सशस्त्र वल चिकित्सा से संगठन या सार्वजनिक ध् विविद्यालय या मान्यता प्रा थान के अधिकारी।	संघ होगें:- विवा क्षेत्र i. अध्या प्या आयो	मिति में निम्नलिखित अ. राष्ट्रीय चिकित्स ग; अध्यक्ष इ. राष्ट्रीय चिकित्सा	

(i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित | ।।।. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आधार पर सदृश पद धारी हैं या द्वारा नामित एक प्रतिनिधि-सदस्य (ii) अनुभाग अधिकारी (विधि) अथवा iv. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा समकक्ष व्यक्तियों में से कोई जिसने वेतन आयोग द्वारा नामित किया मैदिक्स लेवल 08 (47,600-जाने वाला उपयुक्त स्तर का 1,51,100रू.) में 05 वर्ष की नियमित एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य सेवा की हो तथा जिसके पास विधि/ संविधिक मामलों को देखने का कम- से-कम 5 वर्ष का अनुभव हो; और नोट: 1. केन्द्र सरकार के उपर्यक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग- बाह्य पद पर कार्य करने की प्रतिनियक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। नोट 2: प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7	विधि अधिकारी	04* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', गैर -मंत्रालयी	लेबल 11 (67,700 रू2,08,700रू.) या समेकित पारिश्रमिक (चयन के समय दर्शाया जाए)	चयन पद	40 वर्ष तक	(i). एलएलवी से स्नातक जिसमें कम- से-कम 55% अंक प्राप्त हो;
		जा सकता है।		,			(ii). बार काउंसिल
							ऑफ इंडिया के
-							साथ पंजीकरण के
		-		ļ			वाद व्यवसाय में
		·					कम-से-कम 10 वर्ष का
							अनुभव। वांछनीय:
							केंद्र सरकार अथवा
			,				राज्य सरकार/
							स्वायत्त संगठन में
							विधि विभाग में
	,						कार्य करने का
1							अनुभव

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति	चयन समिति में निम्नलिखित	लागू नहीं।
		जिसके न होने पर	केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ	होगें:-	
		स्तंभ 7 में निर्धारित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं एवं अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से सदृश सविंदा आधार पर नियुक्ति	राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी। (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारी हैं या (ii) वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 (56,100-1,77,500रू) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की सेवा; और (iii) वेतन मैट्रिक्स लेवल 08 (47,600-1,51,100रू) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा;	i. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग; अध्यक्ष ii. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- सदस्य iii. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य iv. अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला उपयुक्त स्तर का एक बाहरी विशेषज्ञ- सदस्य	
			(iv) स्तंभ (7) में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता। (v) सरकारी/ स्वायत्त संगठन में विधिक मामलों को देखने का 5 वर्ष का अनुभव हो। नोट : 1. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले अन्य संवर्ग- बाह्य		

पद पर कार्य करने की प्रतिनियुक्ति की अवधि सिहत प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

नोट 2: प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8.	प्रबंधक (आईटी)	03* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क', गैर मंत्रालयी	वेतम मैट्रिक्स में लेवल-11, (67,700- 2,08,700रु.) या समेकित पारिश्वमिक (भर्ती के समय इंगित किया जाना है)	लागू नहीं	40 वर्ष	(i) मास्टर ऑफ विजनेस एडिमिनिस्ट्रेशन / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्नोमा इन मैनेजमेंट और वैचलर ऑफ इंजीनियरिंग / वैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (ii) आईटी और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को संभालने का आठ वर्ष का अनुभव; (iii) सरकारी डोमेन का ज्ञान वांछनीय है।
							टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अईता में छूट दी जा सकती है टिप्पण 2: उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता और अनुभव मूल पात्रता मानदंड है। प्रत्येक विज्ञापन में कार्यात्मक आधार पर अतिरिक्त आवश्यकताएं, यदि कोई हों, का उल्लेख किया जाएगा।

नागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा:	चयन समिति के हैं: -	लागू नहीं
		या उसके न होने पर,	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य	(i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा	
		कॉलम (7) में	क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या	आयोग- अध्यक्ष	
		निर्धारित शैक्षणिक	पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता	(ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा	
		और अन्य योग्यता	प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी;	आयोग-सदस्य	
		और अनुभव रखने	·	(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक	
		वाले व्यक्तियों में से	(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित	प्रतिनिधि- सदस्य	
		संविदा आधार पर है		(iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा	
			आधार पर पद धारण करने वाले ; या	आयोग-सदस्य द्वारा नामित	
			(ii) लेवल 8 (47600-151100 रुपए) या	उपयुक्त लेवल का एक बाहरी	
			समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर	विशेषज्ञ।	
			नियुक्ति के बाद ग्रेड में प्रदान की गई तीन		
•			वर्ष की नियमित सेवाओं के साथ; तथा		
			(iii) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के		
			लिए निर्धारित योग्यता व अनुभव रखने		
			वाले।		
			0 . 00 0 0 0		
			टिप्प्ण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य		
			संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी	•	
			अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि		
			सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं		
			होगी।		



टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

9.	कंप्यूटर प्रीग्रामर	01* (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में	चयन	35 वर्ष तक	(i) वैचलर ऑफ इंजीनियरिंग /
		*कार्यभार के	समूह 'क',	लेबल 10			वैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन
		आधार पर	गैर मंत्रालयी	(56100-			कंप्यूटर साइंस / इंफॉर्मेंशन
		परिवर्तन किया		177500 रुपए)			टेक्नोलॉजी / इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
		जा सकता है।		या समेकित			कम्युनिकेशन या मास्टर ऑफ
				पारिश्रमिक	·		कंप्यूटर एप्नीकेशन
				(भर्ती के समय इंगित किया			(ii) आईटी और ई-गवर्नेंस
				जाना है)			परियोजनाओं को संभालने के
							अनुभव के साथ आईटी
							टेक्नोलॉजीज / सॉफ्टवेयर
				•			पृष्ठभूमि के साथ सलाहकार
							सेवाओं में पांच साल का
					÷		अनुभव।
							(iii) सरकारी डोमेन का ज्ञान
1.	·						वांछनीय है।
-							
							टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य
							उम्मीदवारों के मामले में सक्षम
							प्राधिकारी के विवेक पर अर्हता
							में छूट दी जा सकती है
			- 1				टिप्पण 2: उपर्युक्त शैक्षणिक
				,			योग्यता और अनुभव मूल
							पात्रता मानदंड है। प्रत्येक विज्ञापन में कार्यात्मक आधार
							पर अतिरिक्त आवश्यकताएं,
			-				यदि कोई हों, का उल्लेख किया
						-	जाएगा।
L							2116.111

लागू नहीं	तागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा या उसके न होने पर, कॉलम (7) में निर्धारित शैक्षणिक और अन्य योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से संविदा आधार पर है	प्रतिनियुक्ति द्वाराः केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारीः (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या (ii) लेवल 8 (47600-151100 रुपए) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में प्रदान की गई पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथः (iii) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता व अनुभव रखने वाले; और (iv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक में संबंधित अनुभव रखने वाले अधिकारी को वरीयता दी जाएगी	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी सदस्य	नागू नहीं
			जाएगी		

Y D	्भाग I	[—खण्ड 3(i)]		भारत का राज	पत्र : असाधारण			9
	3			सरकार के इसी संस्थान में इस अन्य संवर्ग बाह	नियुक्ति की अवधि केंद्र संस्थान या किसी अन्य नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी यु प्रतिनियुक्ति की अवधि त: तीन वर्ष से अधिक नर्ह			
				नियुक्ति हेतु अ	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्व धिकतम आयु-सीमा आवे तेम तारीख के 56 वर्ष गी।	दन		
	L				,			•
	10.	लेखा अधिकारी	02* (2021) *कार्यभार के	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख',	सेवल 9 (53100- 167800 रुपए)	चयन .	लागू नहीं	लागू नहीं
		1	Para and Co		10,000 413)			

	10.	लेखा अधिकारी	02* (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	लेवल 9 (53100-	चयन .	लागू नहीं	लागू नहीं	
			*कार्यभार के	समूह 'ख',	167800 रुपए)			·	
Į			आधार पर	मंत्रालयी					
			परिवर्तन किया						
			जा सकता है।						

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वाराः	चयन समिति के हैं: -	लागू नहीं
	,		केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी;	(i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा , आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
			(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले ; या (ii) लेवल 8 (47600-151100 रुपए) में तीन वर्ष की नियमित सेवाओं के साथ सहायक लेखा अधिकारियों या समकक्ष में से;	मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी सदस्य।	
			टिप्प्ण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		•

11.	हिंदी अधिकारी	1* (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	लेवल 8 (47600-	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
		*कार्यभार के	समूह 'ख',	151100 रुपए)			
		आधार पर	मंत्रालयी				
		परिवर्तन किया				•	
		जा सकता है।					

प्राप्त अनुसंधान संस्थाता के अधिकार।; (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केंद्र संस्कार या राज्य संस्कार या संव राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	वागू नहीं
--	-----------	-----------	----------------------	--	---	-----------

•					•		
10		THE GAZ	ETTE OF INDIA	: EXTRAORDIN	ARY .	[PART	II—SEC. 3
			सदृश पद धारण (ii) लेवल 7 (पांच वर्ष की वरिष्ठ अनुवाद टिप्प्ण1: प्रति सरकार के इसी संस्थान में इस अन्य संवर्ग बाह सहित सामान्य होगी। टिप्पण 2. नियुक्ति हेतु अ	या विभाग के आधार ग करने वाले ; या (44900-142400 रुपए) नियमित सेवाओं के स् अधिकारी या समकक्ष में; नियुक्ति की अवधि केंद्र । संस्थान या किसी अन्य नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी द्य प्रतिनियुक्ति की अवधि त: तीन वर्ष से अधिक नर्ह प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्व प्रिकतम आयु-सीमा आवे तेम तारीख के 56 वर्ष भी।	पर प्रतिनिधि- स (iv) अध्यक्ष, आयोग-सदस् उपयुक्त लेवर सदस्य।	ा नामित एक दस्य राष्ट्रीय चिकित्सा य द्वारा नामित त का एक बाहरी	
12. सहायक लेख अधिकारी	· ·	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।.	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', मंत्रालयी	लेबल7 (44900- 142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वा ं	केंद्र सरकार य क्षेत्र या स्वाय पीएसयू या प्राप्त अनुसंधान	ाराः । राज्य सरकार या संघ र त्त या सांविधिक संगठन विश्वविद्यालयों या मान् । संस्थानों के अधिकारीः - ं या विभाग के आधार	यां आयोग- अध् यता (ii) सचिव, आयोग-सदस् (iii) स्वास्थ्य मंत्रालय द्वान	राष्ट्रीय चिकित्सा यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा त्य । और परिवार कल्य रा नामित एक	लागू नहीं

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वाराः	चयन समिति के हैं: -	लागू नहीं
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (i) मूल संवर्ग या विश्वान के अधिकारी; (ii) लेवल 6 में (35400-112400 रुपये) में से पांच साल की नियमित सेवा सहित विश्व लेखाकारों या समकक्ष में से। टिप्प्ण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक वाहरी सदस्य।	लागू नहीं
·			संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी		

13.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	01* (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	लेवल 6 (35400-	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
		*कार्यभार के	समूह 'ग',	112400 रुपए)			
		आधार पर	मंत्रालयी				
		परिवर्तन किया					
		जा सकता है।					

()	[भाग I	I—ৰুण্ड 3	(i)]		भ	ारत का राजप	ात्र : असाधारण 			11
	ागू नहीं लागू नहीं		लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वा	रा	क्षेत्र या स्वायः पीएसयू या रि	राः राज्य सरकार या संघ रा त या सांविधिक संगठन वेश्वविद्यालयों या मान्य संस्थानों के कार्मिक;	या आग्रोग- आ ता (ii) सचिव, आयोग-सद	राष्ट्रीय चिकित्सा ध्यक्ष राष्ट्रीय चिकित्सा	लागू नहीं
						सदृश पद धारण टिप्प्ण1: प्रतिं सरकार के इसी संस्थान में इस अन्य संवर्ग बाह सहित सामान्य होगी। टिप्पण 2. नियुक्ति हेतु अ	नेयुक्ति की अवधि केंद्र संस्थान या किसी अन्य नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी प्रतिनियुक्ति की अवधि त: तीन वर्ष से अधिक नर्ह प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्व धिकतम आयु-सीमा आवे म तारीख के 56 वर्ष	पर प्रतिनिधि- (iv) अध्यक्ष् आयोग-सव उपयुक्त लेव सदस्य। ों	रा नामित एक सदस्य ा, राष्ट्रीय चिकित्सा त्य द्वारा नामित वल का एक बाहरी	
	14.	लेखा कार		02* (2021) *कार्यभार के	सामान	य केंद्रीय सेवा, ग',	लेवल 5 (29200- 92300 रुपए)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
				आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	मंत्राल	यी				

लागू नहीं लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियक्ति द्वाराः	चयन समिति के हैं: -	लागू नहीं
लागू नहीं लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वाराः केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के कार्मिक; (i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; टिप्प्ण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्र सरकार के इसी संस्थान या किसी अन्य संस्थान में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व किसी अन्य संवर्ग बाह्य प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख के 56 वर्ष से	चयन समिति के हैं: - (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी सदस्य।	लागू नहीं

	15.	पुस्तकालय अध्यक्ष	01* (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	लेबल5 (29200-	चयन .	लागू नहीं	लागू नहीं	i
		/सहायक पुस्तकालय	*कार्यभार के	संमूह 'ग',	92300 रुपए)				i
		अध्यक्ष	आधार पर	मंत्राल यी					ì
			परिवर्तन किया						ı
			जा सकता है।						
-									
1				,		1)	

) प्रतिनियक्ति द्वाराः	चयन समिति के हैं: -	लागू नहीं
लागू नहीं शितिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वाराः केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांचिधिक संगठन या पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (i) मूल संवर्ष या विभाग के आधार पर सदृश पदों को धारण करने वाले; या टिप्प्ण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि भारत सरकार के इसी संस्थान या संवर्ग बाह्य इस नियुक्ति की तुरंत पूर्व किसी प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	प्रवास सामात करू (i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक बाहरी विशेषज्ञ।	419, 161

16.	स्टोर कीपर	01* (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	लेबल4	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं
		*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग', मंत्रालयी	(Rs.25500- 81100)			

लागू नहीं लागू नहीं प्रतिनि	युक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा:	चयन समिति के हैं: -	लागू नहीं
	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पीएसयू या विश्वित्रद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी; (i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर सदृश पदों को धारण करने के साथ स्टीर संभालने और स्टीर का लेखा रखने का एक वर्ष का अनुभव।; टिप्प्ण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि भारत सरकार के इसी संस्थान या संवर्ग बाह्य इस नियुक्ति की तुरंत पूर्व किसी प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख तक प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग- अध्यक्ष (ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि- सदस्य (iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग-सदस्य द्वारा नामित उपयुक्त लेवल का एक वाहरी विशेषज्ञ।	

17.	स्टाफ कार चालक	04* (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	लेबल3 (21700-	गैर चयन	35 वर्ष तक	i) मैट्रिक या समकक्ष
		*कार्यभार के	समूह 'ग',	69100 रुपए)		-	उत्तीर्ण;
		आधार पर	गैर-मंत्रालयी				(ii) लाइसेंसिंग
		परिवर्तन किया					प्राधिकारी द्वारा
		जा सकता है।					जारी वैध ड्राइविंग
							लाइसेंस धारण
		-					करना;
	5	deliker reserved					(iii) केंद्र सरकार /

1	<u> </u>			राज्य सरकार /
}				स्वायत्त संगठन में
				ड्राइविंग का पांच
				साल का अनुभव।
				टिप्पण 1: अन्यथ
				सुयोग्य उम्मीदवार
				ने सामले में सधा
				प्राधिकारी के विवे
			•	पर अर्हता में छूट व
		•		जा सकती है

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति या	प्रतिनियुक्ति द्वाराः	चयन समिति के हैं: -	लागू नहीं
		असफल होने पर, जो	े केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य	(i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा	
		कि कॉलम (7) में	क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या	आयोग- अध्यक्ष	
		निर्धारित शैक्षणिक	पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता	(ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा	
		और अन्य योग्यता	प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी;	आयोग-सदस्य	
		और अनुभव रखने	and vigitary design in an area,	(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
		वाले व्यक्तियों में से		मंत्रालय द्वारा नामित एक	
		अनुबंध के आधार पर है	(i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर	प्रतिनिधि- सदस्य	*.
		6	सदृश पदों को धारण करने वाले ; या	(iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा	
			(ii) मूल संवर्ग या विभाग में लेवल 2	आयोग-सदस्य द्वारा नामित	
				उपयुक्त लेवल का एक वाहरी विशेषज्ञ।	
			(19900-63200 रुपए) में नियमित	[प्रसम्बद्धाः	
			नियुक्ति के बाद दो वर्ष की सेवा		
			टिप्प्ण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि भारत		
			सरकार के इसी संस्थान या संवर्ग बाह्य इस		
***			नियुक्ति की तुरंत पूर्व किसी प्रतिनियुक्ति की		
			अवधि सहित सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक		j.
			नहीं होगी। टिप्पण 2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख	1	
			तकं प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु		
			अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक		
			। अधिकतम् आयु-सामा ५६ वषः स आयकः । नहीं होगी।		
			नहा हागा।		

18.	हिंदी टंकक	01* (2021)	सामान्य केंद्रीय सेवा,	लेवल2 (19900-	गैर चयन	35 वर्ष तक	(i) कला स्नातक
		*कार्यभार के	समूह 'ग',	63200 रुपए)			(हिंदी);
* -		आधार पर	मंत्रालयी	,			(ii) केंद्र
		परिवर्तन किया जा सकता है।					सरकार/राज्य
		जा सकता है।					सरकार/स्वायत्त
							संगठन में हिंदी
							टाइपिंग का तीन
		}					साल का अनुभव।
							टिप्पण 1: अन्यथा
							सुयोग्य उम्मीदवारों
						·	के मामले में सक्षम
							प्राधिकारी के विवेक
							पर अर्हता में छूट दी
							जा सकती है

लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति या	प्रतिनियुक्ति द्वारा:	चयन समिति के हैं: -	लागू नहीं
		असफल होने पर, जो	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य	(i) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा	
in .		कि कॉलम (7) में	क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या	आयोग- अध्यक्ष	
		निर्धारित शैक्षणिक	पीएसयू या विश्वविद्यालयों या मान्यता	(ii) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा	
		और अन्य योग्यता	प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी;	आगोग-सदस्य	
		और अनुभव रखने	श्रात अपुत्तवाम सस्यामा क आवकारा,		

			<u></u>	
	वाले व्यक्तियों में से		(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	
	अनुबंध के आधार पर है	(i) मूल संवर्ग या विभाग के आधार पर	मंत्रालय द्वारा नामित्त एक प्रतिनिधि- सदस्य	
		सदृश पदों को धारण करने वाले ; या	(iv) अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा	•
		(ii) हिंदी टंकक का कम से कम तीन वर्ष का	आयोग-सदस्य द्वारा नामित	*
· .	·	अनुभव	उपयुक्त लेवल का एक बाहरी विशेषज्ञ।	
,		(iii)	, ,	
		कॉलम (7) में विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता		
·		धारक	·	
		टिप्प्ण1: प्रतिनियुक्ति की अवधि भारत		
		सरकार के इसी संस्थान या संवर्ग वाह्य इस		
		नियुक्ति की तुरंत पूर्व किसी प्रतिनियुक्ति की		
		अवधि सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक		٠.
	·	नहीं होगी।		
·		टिप्पण 2. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख		
		तक प्रतिमियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु		
-		अधिकतम आयु-सीमा 56 वर्ष से अधिक		
		नहीं होगी।		

[फा.सं.वी.11013/5/2021-एमई-। (पार्ट-2)]

वी. हेकाली झिमोमी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

- G.S.R. 837(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of section 8, read with section 56, of the National Medical Commission Act, 2019, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various posts in the National Medical Commission, namely:
- 1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the National Medical Commission (appointment of Officers and Staff) Recruitment Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, level in the pay matrix The number of posts, its classification, and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification:- No person-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax: Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

S. No.	Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether Selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Member (Examination . Cell)	03* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group- 'A', Non- Ministerial.	level 14 (Rs. 1,44,200- 2,18,200)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and	Period of	Method of recruitment	In case of recruitment	If a Departmental	Circumstances i
educational	probation, if	whether by direct	by promotion of	Promotion Committee	which Union
ualifications	any.	recruitment or by	deputation	exists, what is its	Public Services
rescribed for	any.	promotion or by	/absorption, grades	composition.	Commission to
irect recruits will		deputation/absorption	from which promotion	Composition	consulted in
ipply in case of		and percentage of the	or		making
promotes.		vacancies to be filled by	deputation/absorption		recruitment.
noniotes.		various methods.	to be made.		
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation:	Selection Committee	Not
			Officers of the Central	comprising of :-	applicable
Į			Government or State		
			Governments or Union	(i)Chairperson, National	
			territories or Armed	Medical Commission;	
	•		Forces Medical	Chairman	***************************************
			Services or autonomous		
			or statutory	(ii)DG, ICMR (Ex-	
		·	organization, PSUs or	Officio) Member	
			Universities or	(iii)Director, AIIMS,	
	•		Recognized Research	Delhi (Ex- Officio)	
			Institutions;	Member	
				(iv)Director, PGI,	
			(i)Holding analogous	Chandigarh (Ex-	
			post on regular basis in	Officio) Member	
			the parent cadre or	(v)Secretary, National	
			departments; or	Medical Commission:	
			!	Member, Secretary	
			(ii)With five years		
			services rendered after		
			appointment to the post		
			on a regular basis in		
			Level 13(Rs 123100-		
		•	215900) or equivalent		
	,		in the present cadre or		
			department; and		S
			(iii)Unvina tan		
			(iii)Having ten years		
			experience of administration, finance		٠.
			and vigilance matters.		
İ			Note 1: The period of		
			deputation including the		
	ļ		period of deputation in		
			another ex-cadre post		
			held immediately		
			preceding this		
			appointment in the		
	-		same or some other		
	recovered		organisation/		
			Department of the		
and an incident			Central Government		
			shall ordinarily not		
			exceed three years.		

Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation:	Selection Committee	Not
			Officers of the Central	comprising of:-	applicable
			Government or State	(i) Chairperson,	
			Governments of Union	National Medical	
			territories or Armed	Commission- Chairman	
			Forces Medical		
			Services or autonomous	(ii) Secretary, National	
			or statutory	Medical Commission -	
			organization, PSUs or	Member	4.
			Universities or		
•		,	Recognized Research	(iii) One representative	
			Institutions;	nominated by Ministry	
				of Health and Family	
			(i) Holding analogous	Welfare- Member	
			post on regular basis in		
			the parent cadre or	One outside expert of	
			departments; or	appropriate level to be	
			(ii)With five years	nominated by	
			services in the post	Chairperson, National	
			rendered after	Medical Commission-	
			appointment to the post	Member.	1
			on a regular basis in		
			Level 13 (Rs 123100-		
			215900) or equivalent		
			in the present cadre or		
			department; and		
			(iii) qualifications as	,	
			prescribed in column		
			по. (7).		
			Note 1: The period of		
			deputation including the		
			period of deputation in		
			another ex-cadre post		
			held immediately		
			preceding this		
			appointment in the		
			same or some other		•
			organization/		
			Department of the		
			Central Government		

भारत का राजपत्र : असाधारण [भाग II—खण्ड 3(i)] ordinarily exceed Three years. Note 2: The maximum limit age appointment deputation/ absorption shall be Not Exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications

3.	Advisor	01* (2021)	General Central	level – 12	Selection	Upto 45	(i) Post Graduate Degree from a
	(Rating)	*Subject to	Service, Group-	(Rs.78800-		Years	Recognised University or
,		variation	'A', Non-	209200) or			Institute;
		dependent on	Ministerial	consolidated		;	(ii) 10 years' experience of
		workload		remuneration (quality control and rating of
		Workload		to be indicated			infrastructure and other facilities
				at the time of			preferably medical institutes or
				hiring)			colleges or hospitals.
							\$00,1820 11
1					·		Note 1: Qualification are
					'		relaxable at the discretion of the
							Competent Authority in the case
						i	of candidates otherwise well
							qualified.
							Note 2: The aforesaid educational
							qualification and experience is the
							basic eligibility criteria.
							Additional requirements on
					:		functional basis, if any, shall be
							mentioned in the advertisement
						}	on each occasion.
							on each occasion.
	1						

Not applicable	Not applicable	By deputation failing	By Deputation:	Selection Committee	Not
		which on Contract basis	Officers of the Gentral	comprising of :-	applicable
		from amongst persons	Government or State	(i) Chairperson,	ļ
		possessing the educational	Governments or Union	National Medical	
		and other qualification and	territories or Armed	Commission- Chairman	
		experience as prescribed in	Forces Medical	(ii) Secretary, National	
		column (7)	Services or autonomous	Medical Commission –	
			or statutory	Member	
			organization, PSUs or	(iii) One representative	
			Universities or	nominated by Ministry	
			Recognized Research	of Health and Family	
			Institutions;	Welfare- Member	
				(iv) One outside expert	
			(i)Holding analogous	of appropriate level to	
			post on regular basis in	be nominated by	
			the parent cadre or	Chairperson, National Medical Commission-	
			departments; or	Member.	
			(ii)with five years	TACINIC OI.	
			services rendered after		
			appointment to the post		
•			on a regular basis in		
			Level 11 (Rs 67700-	,	
			208700) or equivalent;		
			(iii)possessing the	-	1
			educational		
			qualification as		
			prescribed under		-
			column (7) and		
			(iv) having at least 5		
			years' experience of		
			quality control and		
			rating of infrastructure		
			and other facilities		

				preferably medical		
				institutes/ colleges or		
	<			hospitals.		
					' '	
				Note 1: The period of		
				deputation including the		
			71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	period of deputation in		
				another ex-cadre post		
			-	held immediately		
				preceding this		
			4 manufacture	appointment in the		
				same or some other		
				organisation/	,	
				Department of the		
			4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Central Government		
		•		shall ordinarily not		
•				exceed three years.		
				Note 2: The maximum		1
				age limit for		
				appointment deputation/		
-				absorption shall be not		
				exceeding <u>56 years</u> as		
				on the closing date of		
				receipt of applications.		
						<u></u>

ſ	4.	Deputy Secretary	1* (2021)	General Central	Level – 12 (Rs	Selection	Not applicable	Not applicable
- [(Accounts &	*Subject to	Service, Group-	78800-209200)			
1.		Finance)	variation	'A', Gazetted,				
		·	dependent on	Ministerial		,		
			workload					

Not applicable	Not applicable	By Deputation	By Deputation:	Selection Committee	Not
			Officers of the Central	comprising of :-	applicable
			Government or State	(i) Chairperson,	
			Governments or Union	National Medical	
			territories or Armed	Commission- Chairman;	
		Additional and the state of the	Forces Medical	(ii) Secretary, National Medical Commission-	
			Services or autonomous	Member;	
			or statutory	(iii) One representative	
			organization, PSUs or	nominated by	
			Universities or	MoH&FW- Member;	
			Recognized Research	(iv) One outside	
			Institutions;	Member of appropriate	
			,	level to be nominated by Chairperson,	
			(i) Holding analogous	National Medical	
		~	post on regular basis in	Commission.	
			the parent cadre or		
			departments; or		
			(ii)From amongst		
			Principal Accounts		
			Officer or equivalent in		
			level - 11 (Rs 67700-		
			208700) of pay matrix		
			with three years of		
			regular service having		
			experience of Finance,		
	·		Accounts, Budget		
			matters.		
			Note 1: The period of		
			deputation including the		
			period of deputation in		
			another ex-cadre post		
			held immediately		
			preceding this		
			appointment in the		
		And the second s	same or some other		
-					

, 41.4 X	1-9.6 2(1)]					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	
				organisation/ Department of Central Governs shall ordinarily exceed three years. Note 2: The maxinage limit appointment deputation/ absort shall be Not Exceed 56 years as on closing date of re of applications.	not mum for y ption eding the		
	Deputy Secretary (Legal)	1* (2021) *Subject to	General Central Service Group-	Level – 12 (Rs 78800-209200) of	Selection	Not applicable	Not applicable

5.	Deputy Secretary	1* (2021)	General Central	Level – 12 (Rs	Selection	Not applicable	Not applicable	Į
	(Legal)	*Subject to	Service Group-	78800-209200) of				ĺ
	, , ,	variation	A, Gazetted,	Pay matrix				
		dependent on	Ministerial			*	·	
		workload			,			

				Selection Committee	Not
Not applicable	Not applicable	By Deputation	By Deputation: Officers of the Central	comprising of :-	applicable
			Government or State	(i) Chairperson,	
			Governments or Union	National Medical	
			territories or Armed	Commission-Chairman;	
		-	Forces Medical	(ii) Secretary, National	
			Services or autonomous	Medical Commission Member;	
			or statutory	(iii) One representative	
	1	1	organization, PSUs or	nominated by	
	1		Universities or	MoH&FW-Member	
			Recognized Research	(iv) One outside	
*		ļ	Institutions;	Member of appropriate	,
				level to be nominated by Chairperson,	
·			(i) holding analogous	National Medical	
	-		post; or	Commission.	
			(ii) with three years of		
			service rendered after		
	t t		appointment to the post on a regulart basis in		***
			level 11(Rs 67700-		
			208700) of the pay		
			matrix and having		
			experience of handling		
			legal and legislative		
			matters.		
			Note 1: The period of		
			deputation including the		
			period of deputation in		
	ļ		another ex-cadre post		
			held immediately		
			preceding this		
			appointment in the		
			same or some other		
			organisation/		
			Department of the		
			Central Government		
			shall ordinarily not		
			exceed three years.		
			Note 2: The maximum		
			age limit for		
			appointment y		
			deputation/ absorption	,	
i			shall be Not Exceeding		
*			56 years as on the		
			closing date of receipt of applications		
			or applications		

6.	Under	1* (2021)	General Central	level 11 (Rs	Selection	Not applicable	Not applicable
	Secretary	*Subject to	Service Group-	67700-208700)			
	(Legal)	variation	'A', Ministerial.				
		dependent on					
		workload					
	i -		•				

			L,, L		
Distriction in the second	Not continue	Dy do-utation	By Deputation:	Selection Committee	Not
Not applicable	Not applicable	By deputation		•	applicable
			Officers of the Central	comprising of :-	аррисавіе
			Government or State	(i) Chairperson, National Medical	
			Governments or Union	Commission- Chairman;	
		ļ	territories or Armed	(ii) Secretary, National	
, '			Forces Medical	Medical Commission-	
			Services or autonomous	Member;	
*			or statutory	(iii) One representative	·
·			organization, PSUs or	nominated by	
			Universities or	MoH&FW- Member,	
			Recognized Research	(iv) One outside	
			Institutions;	Member of appropriate	
			1	level to be nominated	
			(i)holding analogous	by Chairperson,	
	,		post on a regular basis	National Medical Commission	
			in the present cadre or	Commission	
			department; or	•	
			(ii)From amongst		
	·		Section Officers (Legal)		
				*	
			or equivalent in level 8		
			(Rs 47600-151100)		
			with five years of		
			regular service having		
			at least three years'		
			experience of handling		
			legal/legislative matters.		
	,		Note 1: The period of		
			deputation including the		
			period of deputation in		
			another ex-cadre post		
			held immediately		
,			preceding this		
			appointment in the		
			same or some other		
			organisation/		
		'	Department of the		
			Central Government		
			shall ordinarily not		
	·		exceed three years.		
			Note 2: The maximum		
			age limit for		
			appointment by		
			deputation/ absorption		
			shall be Not Exceeding		
			56 years as on the		
			closing date of receipt		
			of applications		
	All districts		o. approximation		
			J	<u>L,</u>	L

	7.	Legal Officer	04* (2021)	General Central	level Li	Selection	Upto 40 years	(i) Graduate
			*Subject to	Service, Group-	(Rs67700-			with LLB with
			variation	'A', Non-	208700)	,		at least 55%
			dependent on	Ministerial.	or			marks;
			workload		consolidated			(ii) At least 10
	i				remuneration (to			years standing
					be indicated at the			in the profession
					time of hiring)			after registration
L								with Bar

		1				
						Council of India
						Desirable-
						Experience o
		İ				working in lav
						department. i
		ļ				Central Government o
						State
						Government
					,	Autonomoús organisation.
						organisation.
Not applic	cable	Not applicable		By Deputation:	Selection Committee	Not
			which on Contract basis	1	comprising of :-	applicable
			from amongst persons	Government or State	1, ,	
			possessing the education		Medical Commission-	
			and other qualification and experience as	territories or Universities	Chairman	
			prescribed in column (7)	or Recognized Research Institutions;	(ii) Secretary, National Medical Commission –	
			processed in column (7)	montanons,	Member	
				(i) Holding analogous	(iii) One representative	
		j		post on regular basis in	nominated by Ministry of	
				the parent cadre or	Health and Family	
				departments; or	Welfare- Member	
				(ii)with three years of	(iv) One outside expert	
				regular service the post	of appropriate level to be	* .
				rendered after appointment to the post	nominated by Chairperson, National	
				on a regular basis in level	Medical Commission-	
				10 (Rs 56100-177500) or	Member.	
			·	equivalent; or		
				(iii) having eight years	·	
				service rendered after		
	į			appointment to the post		
				on a regular basis in level		
				08(Rs 47600-151100) or equivalent;		
				(iv)possessing the		
				educational qualification		•
				as prescribed under	,	
				column (7); and		
	l			(v) having five years'		
				experience of handling		
				legal matters in a Government/Autonomous		
				organisation.		
				0		
				Note 1: The period of		
				deputation including the		
				period of deputation in		
				another ex-cadre post held immediately		
				preceding this		
				appointment in the same		
				or some other		
				organisation/ Department		
				of the Central		
				Government shall		
				ordinarily not exceed three years.		
				Note 2: The maximum		
				age limit for appointment		
	Terresion as			deputation/ absorption		
				shall be not exceeding 56		
				years as on the closing		
				date of receipt of		
				applications		

	Manager (IT)	03* (2021)	General Central	level 11 (Rs.	Not	40 Years	(i) Master of
8.	Manager (11)	*Subject to	Service, Group-	67,700- 2,08,700)	Applicable		Business
[*Subject to variation	A, Non-	Or consolidated	4.4.		Administration/Post
į			Ministerial	remuneration (to			Graduate Diploma
		dependent on	Ministeriai	be indicated at the			in Management and
		workload		time of hiring)			Bachelor of
				(inte of mang)			Engineering/
,			,				Bachelor of
					ĺ		Technology or
							Master of
}	1						Computer
							Application
				ļ			(ii) eight years of
							experience of
							handling IT and E-
							governance
							projects;
							(iii) knowledge of
			1				government domain
			}	·			is desirable.
].				
							Note 1:
. [Qualification are
							relaxable at the
							discretion of the
							competent authority
							in the case of
					,	1	candidates
							otherwise well
							qualified
							Note 2: The
							aforesaid
							educational
							qualification &
			-				experience is the
	:						basic eligibility
							criteria. Additional
							requirements on
							functional basis, if
							any, shall be
					-		mentioned in the
							advertisement on
							each occasion.
							each occasion.

ot applicable Not applicable	e By deputation or failing which on Contract basis from amongst persons possessing the educational and other qualification and experience as prescribed in column (7)	By Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i)Holding analogous post on basis the post parent cadre or departments; or (ii)With three years regular services in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level 8 (Rs47600 151100)or equivalent;	Selection Committee comprising of: (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman (ii) Secretary, National Medical Commission – Member (iii) One representative nominated by Ministry of Health and Family Welfare- Member (iv) One outside expert of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission- Member.	Not applicable	
------------------------------	---	--	--	----------------	--

1	and
	(iii)Possessing the
	educational
	qualification as
	prescribed under
	column (7).
	Note 1: The period of
	deputation including the
	period of deputation in
	another ex-cadre post
	held immediately
	preceding this
	appointment in the
	same or some other
	organisation/
	Department of the
	Central Government
	shall ordinarily not
	exceed three years.
	Note 2: The maximum
	age limit for
	appointment y
	deputation/ absorption
	shall be Not Exceeding
	56 years as on the
	closing date of receipt
	of applications
	••

9.	Computer Programmer	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- 'A', Non- Ministerial	level 10 (Rs 56100-177500) Or consolidated remuneration (to be indicated at the time of hiring)	Selection	Upto 35 years	(i) Bachelor of Engineering/ Bachelor of Technology in Computer Science /Information Technology/Electronics and Communication or Master of Computer Application (ii) having five years of experience in advisory services for IT Technologies/software background with experience of handling of IT and E- governance projects. (iii) knowledge of government domain is desirable. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified Note 2: The aforesaid educational qualification & experience is the basic eligibility criteria. Additional requirements on functional basis, if any, shall be
							mentioned in the advertisement on each occasion.

Not applicable	Not applicable	By deputation/ failing	By Deputation:	Selection Committee	Not applicable
		which on Contract basis	Officers of the Central	comprising of :-	
		from amongst persons possessing the educational	Government or State	(i) Chairperson, National Medical	
		and other qualification and		Commission- Chairman; (ii) Secretary, National	

Medical Commissionexperience as prescribed in autonomous or statutory organisation or PSUs or Member; column (7) (iii) One representative Universities or nominated by Recognized Research MoH&FW- Member; Institutions; (iv) One outside Member of appropriate (i)Holding analogous level to be nominated by Chairperson, post on regular basis in National Medical the parent cadre or Commission. departments; or (ii)with five years of service rendered after appointment to the post on a regular basis in level 08(Rs47600-151100) or equivalent; (iii)possessing the educational qualification and experience as prescribed under column (7); and (iv)Officers with relevant experience in National Informatics Centre / National Centre Informatics Services Inc. will be preferred. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum limit for age appointment deputation/ absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications

	10.	Accounts	02* (2021)	General Central	level 9 (Rs53100-	Selection	Not applicable	Not applicable	
		Officer	*Subject to	Service Group-	167800)				
İ			variation	'B', Ministerial.					
	-		dependent on				, ,		
			workload						

Not applicable	Not applicable	By Deputation	By Deputation:	Selection Committee	Not applicable
			Officers of the Central	comprising of :-	
			Government or State	(i) Chairperson,	
		·	Governments or Union	National Medical	
			territories or	Commission- Chairman;	
			autonomous or statutory	(ii) Secretary, National Medical Commission-	
			organisation or PSUs or	Member;	
			Universities or	(iii) One representative	
			Recognized Research	nominated by	
			Institutions;	MoH&FW- Member;	
			·	(iv) One outside	
				Member of appropriate	

}		44			****	
•			(i) Holding analo		be nominated	
			post on regular bas	sis in by Cha	irperson,	
			the parent cadre		al Medical	
			departments; or	Comm	ission.	İ
			(ii)From amo	ongst		
			Assistant Acc	count		
			Officers or equiva	alent		
			in level 8 (Re 47			
				three	,	
	,		years of regular serv	vice		1
		1	Note 1: The period	d of		
			deputation including		•	
			period of deputation			
			another ex-cadre			
			held immedia	ately		
			preceding	this		
		·	appointment in	the		
			same or some of	ther		
		! 	organisation/			
		-	Department of	the		
			Central Governm			
	-			not	j	
			exceed three years.			
			Note 2: The maxim	2222		
				for		
			appointment	1		
			deputation/ absorpt	У		
			absorpt	. 1011		
			shall be not exceed		1	
	}		56 years as on	the		
			closing date of rece	eipt	1	
			of applications.		ł	
	1					
. Hindi Of	ficer 1* (2021)	General Central	level 8	0.1	1	T
	*Subject to	Service Group-	(Rs.47600-	Selection	Not applicable	Not applicable
	variation	'B' Ministerial	(RS.47000-			

1 11.	Hindi Officer	1 * (2021)						
	1 mai Omcer	1* (2021)	General Central	level 8	Selection	Not applicable	Not applicable	1
		*Subject to	Service Group-	(Rs.47600-		1 tot applicable	Not applicable	
		variation	'B', Ministerial.	151100)		i		l
		dependent on	, ministerial.	131100)				
	!			}	ı		1	
		workload		ļ				
		i l	,	ļ				
L							•	

ot applicable	Not applicable	By Deputation	By Deputation:		
		-) ~ •)		Selection Committee	Not applicable
			Officers of the Central	comprising of :-	
			Government or State	(i) Chairperson,	
			Governments or Union	National Medical	
			territories or	Commission- Chairman; (ii) Secretary, National	
			autonomous or statutory	Medical Commission-	
			organisation or PSUs or	Member:	
			Universities or	(iii) One representative	
			Recognized Research	nominated by	
	.		Institutions;	MoH&FW- Member;	
				(iv) One outside	
	`		(i) Holding analogous	Member of appropriate level to be nominated	
			post on regular basis in	by Chairperson.	
			the parent cadre or	National Medical	
			departments; or	Commission.	
			(ii)From amongst		
			Senior Hindi Translator		
			or equivalent in level 7		
			(Rs 44900-142400)		
			with five years of		
			regular service		
			Note 1: The period of		
			deputation including the		-
			period of deputation in		
			another ex-cadre post		
			held immediately		
			preceding this		
			appointment in the		

26	i .	TH	E GAZETTE OF INDI	A : EXTRAORDINAR	Y [PAI	RT II—SEC. 3(i)]
<i>J.</i>				same or some other organisation/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment deputation/ absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications		
				level 7 Sclea	ction Not applicable	Not applicable
12,	Assistant Accounts Officer	1* (2021) *Subject to variation dependent of workload.	B, Gazetted,	(Rs.44900- 142400)	. Not applicable	Not applicable
Not appl	icable	Not applicable	By Deputation	By Deputation:	Selection Committee	Not applicable
				Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; or (ii)From amongst Senior Accountants or equivalent in level 6 (Rs35400-112400) with five years of regular service Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other	comprising of: (i) Chairperson, National Medical Commission- Chairman; (ii) Secretary, National Medical Commission- Member; (iii) One representative nominated by MoH&FW- Member; (iv) One outside Member of appropriate level to be nominated by Chairperson, National Medical Commission	

organisation/

appointment

Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for

deputation/ absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications

()									
	13.	Junior Hindi Translator	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group- 'C', Ministerial.	level 6 (Rs.35400- 112400)	Sclection	Not applicable	Not applicable	

Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation:	Selection Committee	Not applicable
rose appension	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		From amongst officials	comprising of :-	
			holding analogous post	(i) Chairperson,	
			in the Central	National Medical	
		,	Government/ State	Commission- Chairman;	
		:	Governments/	(ii) Secretary, National Medical Commission-	
			autonomous or statutory	Member;	
			organisation or PSUs or	(iii) One representative	
,			Universities or	nominated by	
			Recognized Research	MoH&FW- Member;	
•			Institutions;	(iv) One outside	
			·	Member of appropriate	
			(i) Holding analogous	level to be nominated	
			post on regular basis in	by Chairperson, National Medical	
			the parent cadre or	Commission	
			departments.		
			Note 1: The period of		
			deputation including the	,	
			period of deputation in		
			another ex-cadre post		
			held immediately	·	
	ļ		preceding this		
			appointment in the		
			same or some other		
			organisation/	1	
			Department of the		
			Central Government		
			shall ordinarily not		
			exceed three years.		
			Note 2: The maximum		
			age limit for		
			appointment y		
			deputation/ absorption		
	}		shall be not exceeding		
•			56 years as on the		
			closing date of receipt		
			of applications		
			A		

		T	T	0 1	NI-4	Not applicable
14. Accountant	02* (2021)	General Central	level 5	Selection	Not	140t applicable
	*Subject to	Service Group- 'C',	(Rs.29200-		applicable	
	variation	Ministerial.	92300)			
	dependent on					
	workload.					

Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation:	Selection Committee	Not applicable
1			Officials of the Central	comprising of :-	
			Government/ State	(i) Chairperson,	
			Governments/ Union	National Medical	
			territories or	Commission- Chairman;	
			autonomous or statutory	(ii) Secretary, National	
			organisation or PSUs or	Medical Commission-	
			Universities or	Member;	
				(iii) One representative	
			Recognized Research	nominated by MoH&FW- Member;	
			Institutions;	(iv) One outside	
	,			Member of appropriate	
			(i) Holding analogous	level to be nominated	
			post on regular basis in	by Chairperson,	
,			the parent cadre or	National Medical	

				departments.	Commission	
				Note 1: The period of		
		1		deputation including the		
				period of deputation in		
				another ex-cadre post		
				held immediately		
				preceding this-		
		ľ	0	appointment in the		
		}		same or some other		·
				organisation/		
				Department of the		
				Central Government		
				shall ordinarily not		
				exceed three years.		
				Note 2: The maximum		
				age limit for		
		}		appointment y		
				deputation/ absorption		
				shall be not exceeding		
	*			56 years as on the		
•				closing date of receipt		
				of applications		

	15.	Librarian/Assistant	01* (2021)	General Central	level 5	Selection	Not	Not applicable
		Librarian	*Subject to	Service Group-	(Rs.29200-92300)		applicable	`
			variation	'C', Ministerial.				
			dependent on					
			workload.					
İ								
	*							

Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation:	Selection Committee	Not applicable
		,	Officials of the Central	comprising of :-	
			Government/ State	(i) Chairperson,	
			Governments/r Union	National Medical	
			territories or	Commission-Chairman;	
			autonomous or statutory	(ii) Secretary, National Medical Commission-	
			organisation or PSUs or	Member;	
			Universities or	(iii) One representative	
			Recognized Research	nominated by	
			Institutions;	MoH&FW- Member;	
			mountainone,	(iv) One outside	
			(i) Holding analogous	Member of appropriate	
			post on regular basis in	level to be nominated	
	1		the parent cadre or	by Chairperson,	
			departments;.	National Medical	
			r "	Commission	
			Note 1: The period of		
			deputation including the		
			period of deputation in		
			another ex-cadre post		
			held immediately		
			preceding this		
			appointment in the		
			same or some other		
			organisation/		
			Department of the		
			Central Government		
			shall ordinarily not		
			-		
			exceed three years.		
			Note 2: The maximum		
			age limit for		
			appointment y		
			deputation/ absorption		
			shall be not exceeding		<u> </u>

100											
9	- 3										
	- 1										
E .							w				
- 1			1			(- *					
- 1			1 .	Į .	to vegre as on the	1	t I				
- 1			†	1	and denta na du mic	1					
			1	1			1 3				
- 1			1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		, 1				
1					ciosing date of receipt	i .					
ſ				!	cidonie dato di rodoibi		1				
- 1				1	56 years as on the closing date of receipt of applications		i				
- 1			1	,	- 4° 11 +1	i .					
			1	}	or applications	₹	i				
- 1			1	ì	ar approximation	1	<i>i</i> 1				
- 1			1	ſ		1	i				
1			1	i i		3	i I				
- 1			F			1	i				
						I .	i l				

16.	Store keeper	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- ·'C', Ministerial	level 4 (Rs.25500-81100)	Selection	Not applicable	Not applicable
				:			

Not applicable	Not applicable	By deputation	By Deputation:	Selection Committee	Not applicable
			Officials of the Central	comprising of :-	
			Government/ State	(i) Chairperson,	
			Governments/r Union	National Medical	
			territories or	Commission- Chairman;	
. ,			autonomous or statutory	(ii) Secretary, National Medical Commission-	
***			organisation or PSUs or	Member;	
			Universities or	(iii) One representative	
			Recognized Research	nominated by	
			Institutions;	MoH&FW-Member	
•				(iv) One outside	
			(i) Holding analogous	Member of appropriate	
			post on regular basis in	level to be nominated	
			the parent cadre or	by Chairperson, National Medical	
			departments with one	Commission	
			year experience in	Commission	
			handling store and	·	
			keeping accounts of the		
			store.		
			•		
			Note 1: The period of		
			deputation including the		•
			period of deputation in		
			another ex-cadre post		
•			held immediately		
			preceding this		•
			appointment in the		
			same or some other		
			organisation/		
			Department of the		
			Central Government		
			shall ordinarily not		
			exceed three years.		
			Note 2: The maximum		
			age limit for		
			age mint for appointment on		
			deputation/ absorption		
			shall be not exceeding		
			56 years as on the		
			closing date of receipt		
			of applications		
			or applications		الا

17.	Staff car driver	04* (2021) *Subject to	General Central Service Group-	level 3 (Rs.21700- 69100)	Non Selection	Upto 35 years	(i) Matriculation or equivalent
		variation	'C', Non-				pass;
		dependent on	Ministerial				(ii) holding
		workload		1.		*	valid driving
				·			licence issued
	,						by the licencing
İ	•						authority;
'							(iii) five year
							experience of
							driving in a
							Central
							Government /
							State
							Government
							/Autonomous
							Organisation.
	·						Note 1:
							Qualification are
						*	relaxable at the
							discretion of the
							competent
							authority in the
							case of
_							candidates
		a ·					otherwise well
							qualified.
i							

	Not applicable	Not applicable	By deputation or failing	By Deputation:	Selection Committee	Not applicable
			which on Contract basis	From amongst staff car	comprising of :-	
			from amongst persons	drivers or dispatch	(i) Chairperson,	
		-	possessing the educational	riders holding	National Medical Commission- Chairman;	
			and other qualification and	analogous post in the	(ii) Secretary, National	
			experience as prescribed in	Central Government/	Medical Commission-	
		į	column (7)	State Governments/	Member;	
İ				Union territories or	(iii) One representative	
				autonomous or statutory	nominated by MoH&FW- Member;	
-				organisation or PSUs or	(iv) One outside	
	•			Universities or	Member of appropriate	
				Recognized Research	level to be nominated	
	,			Institutions;	by Chairperson,	
				(i) Holding analogous	National Medical	
				post on regular basis in	Commission.	
				the parent cadre or		•
				department; or		
				(ii) with two years'		
				service rendered after		
				appointment to the post		
				on a regular basis in		200
				level 2 (Rs.19900-		
				63200) in parent cadre		
				or department.		
				Note 1: The period of		
				deputation including the	·	
1				period of deputation in		
				another ex-cadre post		
				held immediately		
1				preceding this		
				appointment in the		Table
				same or some other		The second
	1			organisation/		
				Department of the		
				Central Government		
L				shall ordinarily not		

3	 11		
•		exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment deputation/ absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications	

18.	Hindi Typist	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group- C, Ministerial.	Level 2 (Rs.19900-63200)	Non Selection	Upto 35 years	(i) Bachelor of Arts (Hindi); (ii) three years of hindi typing experience preferably in a Central Government / State Government /Autonomous Organisation. Note 1: Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of
							authority in the

Not applicable	By deputation/ failing	By Deputation:	Selection Committee	Not applicable
	which on Contract basis	Officials of the Central	comprising of :-	
	from amongst persons	Government or State	(i) Chairperson,	
	possessing the educational	Governments or Union	National Medical	
	and other qualification and	territories or		
	experience as prescribed in	autonomous or statutory		
	column (7)	organisation or PSUs or	1	
		Universities or		
		Recognized Research	nominated by	
		Institutions; and	MoH&FW- Member;	
			(iv) One outside	
		(i) Holding analogous		
		post on regular basis in		
		the parent cadre or		
			Commission.	
		,		
		•		
		ł de la de l		
		column (7).		
	Not applicable	which on Contract basis from amongst persons possessing the educational and other qualification and experience as prescribed in	which on Contract basis from amongst persons possessing the educational and other qualification and experience as prescribed in column (7) Officials of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; and (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; and (ii)with at least three years of hindi typing experience; (iii)possessing the educational	which on Contract basis from amongst persons possessing the educational and other qualification and experience as prescribed in column (7) Officials of the Central Government or State Governments or Union territories or autonomous or statutory organisation or PSUs or Universities or Recognized Research Institutions; and (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or departments; and (ii) with at least three years of hindi typing experience; (iii) possessing the educational qualification as prescribed under

499			,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
ं).					r
Ì				Note 1: The period of	·	
Į				deputation including the		
				period of deputation in		
1				another ex-cadre post		
1				held immediately		
ĺ				preceding this		
1			·	appointment in the		
1				same or some other		
l				organisation/		
Į				Department of the		
ł				•		
ĺ				Central Government		
				shall ordinarily not		
1				exceed three years.		
-		·		Note 2: The maximum		
1				age limit for		
		+		appointment deputation/		
-	•			absorption shall be not	·	
1				exceeding 56 years as		
-				on the closing date of		
-				receipt of applications		
					•	
		I				1

[F.No. V.11013/5/2021-ME-I(Pt-2)] V HEKALI ZHIMOMI, Jt. Secy.